5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

132

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक 1137-I/2016 जिला–जबलपुर

1. गंनेश प्रसाद पुत्र श्री कमलसिंह गौड,
2. भूरीबाई उर्फ सुमन्तरी गौड पुत्री कमल सिंह गौड,
3. शांताबाई उर्फ शांतिबाई पुत्री कमल सिंह गौड, निवासीगण ग्राम केवलारी (उमरिया) तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0

...........अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1. मौहम्मद वाजिद पुत्र श्री जमालु उद्दीन, निवासी 229, असफाक उल्ला वार्ड, जिला जबलपुर म0प्र0
2. मध्य प्रदेश शासन

...........प्रत्यर्थीगण

पुष्पेन्द्र कुमार सिंह
एडवोकेट
E. No. M.P./1041/2009

आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 32 भू–राजस्व संहिता एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2013 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2016 से स्वीकार की गयी है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न है)।

2– यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपील में भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति इस शर्त के आधार पर दी गयी है कि भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से तीन माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 03.05.2016 से 03.08.2016 को समाप्त हो गयी है। किन्तु अपीलार्थीगण का स्वास्थ्य खराब होने के कारण भूमि का विक्रयपत्र निर्धारित अवधि में नहीं कराया जा सका है। ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय किये जाने हेतु तीन माह का अवसर दिया जाना न्यायोचित होगा।

XXXI''-)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1137–दो / 2016 अपील जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–2016	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के.पासी एंव दुष्यन्त कुमार सिंह अधिवक्ता को आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता एंव सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुना गया। 2/ आवेदक अधिवक्ता ने अवगत कराया की आवेदक का स्वास्थ्य खराब होने से विकय पत्र का निष्पादन आदेश दिनांक से तीन माह की अवधि में नहीं कराया जा सका है। इस संबंध में बीमारी का प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी विकय पत्र का निष्पादन आगामी तीन माह में आवश्यक रूप से करें। यह अवधि पूर्व आदेश दिनांक 3–5–16 एंव समाप्ति दिनांक 3–8–16 से आगामी तीन माह तक प्रभावशील होगी। इसी निर्देश के साथ आवेदन पत्र निराकृत किया जाता है। (एम.के.सिंह) सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर	